आदेश पत्रक
न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल अयोध्या, जनपद : अम्बेडकरनगर, तहसील: आलापुर
वाद संख्या:– 02232/2019
कंम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :– T201904040402232
सिंगारी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट इमामुद्दीनपुर आलापुर, बनाम गांव सभा
अंतर्गत धारा :– 80 अधिनियम– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006

मौजा– इमामुद्दीनपुर , परगना– विहहर

निर्णय

प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र सिंगारी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट इमामुद्दीनपुर आलापुर, अम्बेडकरनगर द्वारा चेयरमैन बनवारी लाल पुत्र कतवारू निवासी ग्राम इमामुद्दीनपुर परगना विहहर तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा खतौनी सन् 1426 ता 1431 फसली खाता संख्या 79 के गाटा संख्या 412/3.235हे0 में से 1.617हे0 में स्थित ग्राम इमामुद्दीनपुर परगना विहहर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर के बावत् प्रस्तुत किया गया है, जिसमे कहा गया है कि भूमि उपरोक्त में सिंगारी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट इमामुद्दीनपुर आलापुर, अम्बेडकरनगर में निर्माण हुआ है तथा जो संस्था की भूमि है। कृषि कार्य नही होता है। उक्त रकबा पूर्णरूप से कमरा एवं चहर दिवारी से आच्छादित है, जो मौके पर अकृषिक भूमि है। उपरोक्त भूमि कृषि भूमि की परिभाषा में नही आती है । जांच आख्या मंगाकर अकृषिक होने की बिना पर भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/वादी के उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच तहसीलदार आलापुर से कराकर आख्या दिनांक–21.11.2019 प्राप्त किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार आलापुर द्वारा अग्रसारित राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या क्रमशः दिनांक 16.11.2019 व 15.11.2019 में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम इमामुद्दीनपुर परगना विहहर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर में स्थित गाटा संख्या 412/3.235हे0 में से रकबा 1.617हे0 सिंगारी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट इमामुद्दीनपुर आलापुर, अम्बेडकरनगर द्वारा चेयरमैन बनवारी लाल पुत्र कतवारू निवासी ग्राम इमामुद्दीनपुर का नाम जरिये पंजीकृत दान पत्र संक्रमणीय भूमिधर के खाते में दर्ज है, जिसमें संस्था के भवन चहर दिवारी आदि बने हुए है। प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य नही हो रहा है। बतौर अकृषिक रूप में प्रयोग हो रहा है। गाटा संख्या 412/1.617हे0 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के तहत अकृषिक/कृषि कार्य से इतर दर्ज किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार आलापुर की आख्या दिनांक–21.11.2019 का परीक्षण किया गया। ग्राम इमामुद्दीनपुर सन् 1426 ता 1431 फसली खाता संख्या 79 पर गाटा संख्या 412/3.235हे का 1.617हे0 रकबा सिंगारी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट इमामुद्दीनपुर आलापुर, अम्बेडकरनगर द्वारा चेयरमैन बनवारी लाल पुत्र कतवारू के नाम दर्ज है, जो गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त हो रहा है। उक्त खतौनी बटवारा शुदा भूमि है। व्यावसायिक होने के कारण कलेक्टर महोदय अम्बेडकरनगर की निर्धारित दर के अनुसार भूमि है। व्यावसायिक होने के कारण कलेक्टर महोदय अम्बेडकरनगर की निर्धारित दर के अनुसार भूमि का मूल्यांकन 1.617हे0 X 3600000रू0 प्रति हे0 की दर से की दर से मालियत

पृष्ठ संख्या :

6306300रू0 होता है। जिसका 1 प्रतिशत की दर से शुल्क रूपया 63063(तिरसठ हजार तिरसठ रूपया) घोषणा शुल्क होता है। ट्रेजरी चालान सं0 17 दिनांक 25.11.2019 की प्रति व 1 प्रतिशत कोर्ट फीस रूपया 63063(तिरसठ हजार तिरसठ रूपया) ट्रेजरी चालान संख्या 17 दिनांक 25.11.2019 की प्रति बैंक आफ बड़ौदा रामनगर में जमा कर दाखिल किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा उक्त भूमि व्यावसायिक रूप प्रयोग किये जाने के कारण उपरिवर्णित धनराशि अदा किया जा चुका है, जिसको अकृषिक भूमि घोषित/दर्ज किया जाना उचित पाया जाता है। तद्नुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0 प्र0रा0संहिता 2006 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम इनामुद्दीनपुर परगना विड़हर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर की खतौनी सन् 1426 ता 1431 फसली खाता संख्या 79 के गाटा संख्या 412मि0/1.617हे0 सिंगारी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट इनामुद्दीनपुर आलापुर, अम्बेडकरनगर द्वारा चेयरमैन बनवारी लाल पुत्र कतवारू निवासी ग्राम को लगान पत्रा से मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित/दर्ज किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो । इस आदेश की प्रमाणित एक प्रति उप निबन्धक आलापुर को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक– 27.11.2019

27।11।19

(भरत लाल सरोज)
उपजिलाधिकारी
आलापुर,अम्बेडकरनगर

मिलान किया
रजिस्टर नं0 - 2950
True Copy